राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7228/2024

अनोप सिंह गोदारा पुत्र गोकुल राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी रोहिल्ला (पश्चिम) गांव सेडवा, जिला बाड़मेर ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज, बीकानेर

3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बाड़मेर

4.प्रभारी, भर्ती अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बाड़मेर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री कुणाल बिश्नोई

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

09/05/2024

1. याचिकाकर्ता 31 मार्च, 2022 के एक आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत शिक्षक ग्रेड III, लेवल I के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। वह प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की भी मांग कर रहा है कि उसे 31 दिसंबर, 2021 के विज्ञापन के अनुसार शिक्षक ग्रेड III, लेवल I के रूप में नियुक्त किया जाए, साथ ही सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं।

2. दलील के अनुसार प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर, 2021 के विज्ञापन के जवाब में शिक्षक ग्रेड III, लेवल I के पद के लिए आवेदन किया था। उसका चयन किया गया और उसे दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया।

2.1. हालांकि, पात्रता समिति ने उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के कारण उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन दिया, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। परिणामस्वरूप, उन्होंने एक रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5704/2022) दायर की, जिसे 21 जुलाई, 2022 को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 120-बी, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 और 4/6 और आईटी अधिनियम की धारा 66डी के तहत आरोप लगाए गए थे।

2.2. बाद में सक्षम आपराधिक अदालत ने याचिकाकर्ता को 5 मार्च, 2024 को सभी आरोपों से बरी कर दिया (अनुबंध 4)। बरी होने के बाद, याचिकाकर्ता ने 18 मार्च, 2024 को अपनी नियुक्ति का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, यह याचिका दायर की गई।

3. इस उपर्युक्त संदर्भ में, मैंने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ सुनी हैं और केस फ़ाइल की समीक्षा की है।

4. मुख्य मुद्दा/प्रश्न यह है कि क्या लंबित आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता की बरी होने के बाद, क्या वह इस बरी से लाभ पाने का हकदार है, क्योंकि वह आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस पद पर कार्यरत था, जिसके लिए उसे चुना गया था? उत्तर हाँ में है। आइए देखें कि कैसे।

5. इसी तरह के एक अन्य मामले में एक अन्य निर्णय का उल्लेख करना उचित है, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18747/2019, पतराम बनाम राज्य और अन्य, 30.01.2024 को तय किया गया, संयोग से मेरे द्वारा लिखा गया। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "6. याचिकाकर्ता के मामले को गुण-दोष के आधार पर देखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं छिपाई। अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पहले, उसने स्वेच्छा से एफआईआर संख्या 309/2019 के अस्तित्व का खुलासा किया, जो आईपीसी की धाराओं 498-ए, 406, 323, 354 के तहत पुलिस स्टेशन अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर में दर्ज है, जो वैवाहिक कलह के कारण उसकी अलग रह रही पत्नी द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा, इस एफआईआर से उपजा आपराधिक मुकदमा याचिकाकर्ता के बरी होने के साथ समाप्त हो गया है।

7. इस चरण में याचिका को अनुमति न देने का एकमात्र विरोध प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना है, जिसकी रिपोर्ट 2016 (8) एससीसी 471 में दी गई है।

8. उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान में रखना होगा कि उम्मीदवारों को अपने नियोक्ताओं को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति, गिरफ्तारी या लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी, रोजगार से पहले और बाद में, बिना किसी छिपाव या झूठे बयान के, सच्चाई से बतानी चाहिए। नियोक्ताओं को, झूठी सूचना के कारण सेवाएं समाप्त करते समय या उम्मीदवारी रद्द करते समय, विशेष परिस्थितियों और प्रासंगिक सरकारी विनियमों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि किसी आपराधिक मामले में शामिल होने के बारे में छिपाव या गलत सूचना है, तो उसकी प्रकृति के आधार पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सत्यापन/सत्यापन प्रपत्रों की सटीकता और विशिष्टता महत्वपूर्ण है, और छिपाव या झूठे सुझाव के लिए दोषसिद्धि के लिए जिम्मेदार ज्ञान की आवश्यकता होती है। नियोक्ता, निस्संदेह, प्रकट की गई जानकारी पर विचार करने में अपना विवेक बनाए रख सकते हैं और सत्य प्रकटीकरण किए जाने पर भी उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, खासकर ऐसे मामलों में जिनमें कई लंबित मामले या गंभीर आपराधिक अपराध शामिल हैं।

9. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोई दमन या छिपाने का आरोप नहीं है। यहां तक कि प्रासंगिक समय में जब वह अपराध में शामिल था, तब भी वह किसी भी तरह से उन कर्तव्यों की प्रकृति पर प्रभाव नहीं डालता था जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाना था। जो भी हो, वह किसी भी मामले में बरी है और उसने खुद को निर्दोष साबित किया है।"

6. याचिकाकर्ता का मामला मेरे द्वारा पहले ही व्यक्त किए गए उपरोक्त विचारों से पूरी तरह से आच्छादित है और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उसे इसका लाभ क्यों न दिया जाए।

7. इसी तरह के विचार दूसरे मामले में भी व्यक्त किए गए थे, जैसे कि सुभाष बिश्नोई बनाम राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18.03.2024, जिसका निर्णय 18.03.2024 को हुआ।

8. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी केवल लंबित आपराधिक मामले के कारण खारिज कर दी गई थी, जो अब कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

9. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, कोई वैध कारण नहीं है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की नियुक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, खासकर जब उसका चयन और पद के लिए उपयुक्तता विवादित नहीं है।

10. इसलिए, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है, और 31 मार्च, 2022 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को इस आदेश की एक

प्रति प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने और याचिकाकर्ता को एक पोस्टिंग की पेशकश करने का निर्देश दिया जाता है।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर किसी भी पूर्वव्यापी सेवा लाभ का हकदार नहीं है, लेकिन वह अपने समकक्षों, जिनके साथ उसने प्रतिस्पर्धा की थी, की नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक लाभ प्राप्त करेगा।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।